THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV) Sir, I beg to lay on the table—

I (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.—

(i) (a) Sixteenth Annual Report and Accounts of the Goa Meet Complex Limited, Panjim, for the year 1986-87, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon

(b) Review by Government on the working of the Company

[Placed in Library. *See* No. LT-7545/89 for (a) and (b)]

(ii) (a) Seventeenth Annual Report and Accounts of Goa Meet Com plex Limited, Panjim, for the year 1987-88, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the Company.

[Placed in Library. *See* No. LT-7546/89 for (a) and (b)]

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (i) (a) and (ii) (a) above

[Placed in Library *See* No. LT-7456/89]

II A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-secion (4) of section 14 and sub-section (4) of section 16 of the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board Act, 1983.—

(i) Annual Report and Accounts of the National Oil-seeds and Vegetable Oils Development Board, New Delhi, for the year 1987-88, together with the Audit Report on the Accounts.

(ii) Review by Government on the working of the Board

[Placed in Library *See* No LT-7482/89 for (i) and (ii)]

Notifications of the Ministry of Food and Civil Supplies

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D L BAITHA). Sir, I beg to lay on the Table—

I A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Civil Supplies), under subsection (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955—

(i) S O No 1063 (E), dated the 18th November, 1988, publishing the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) Fourth Amendment Order, 1988

(ii) S. O No 3 (E), dated the 2nd January, 1989, publishing the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) First Amendment Order, 1989.

[Placed in Library *See* No. LT-7455/89 for (i) and (ii)]

II. A copy (in English and Hindi) of Food and Civil supplies (Department of food) Notification No 48/F No 41-1/85-EP, dated the 10th February, 1989, pblishing the food Crproation of India (Contributory Provident Fund) (10th Amendment) Regulations, 1989,

under sub-section (5) of section 45 of the Food Corporation Act, 1964.

[Placed in Library *See* No. LT-7459/89].

12 Noon

ANNOUNCEMENT *RE* GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING 13TH MARCH, 1989

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M M. JACOB) With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing Monday, the 13th March, 1989, will consist of —

1. Further discussion on the Railway Budget for 1989-90.
2. Consideration and passing of
   (a) The Central Industrial Security Force (Amendment) Bill, 1988
   (b) The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Amendment Bill, 1987.
3. General discussion on the General Budget for 1989-90.

SHORT DURATION DISCUSSION
Functioning of Government Hospitals in Delhi

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) माननीय सभापति जी, मैं अत्यन्त आभारी हूं कि आपने दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के कार्यकरण के सम्बध में चर्चा के लिए अनुमति प्रदान की है।

[उप सभापति पीठासीन हुई]

मैं ऐसा मानता हू कि दिल्ली जो इस देश की राजधानी है और जिसकी जनसख्या 84 लाख है उसमे इलाज के लिए न केवल दिल्ली के लोग वहा के अस्पतालों में जाते हैं बल्कि दिल्ली के अन्य प्रदेशो से आने वाले लोग भी इलाज के लिए आते हैं यह सोचते हुए कि दिल्ली में उपचार की एक समुचित और सुव्यवस्थित व्यवस्था होगी। आज जब हम दिल्ली के अस्पतालों के कार्यकरण पर चर्चा कर रहे हैं तो हमे यह देखना होगा कि दिल्ली के अस्पतालो की स्थिति कैसी है। दिल्ली के अस्पतालों के डाक्टर्ज की अवस्था क्या है, वहा काम करने वाले कर्मचारियो की स्थिति क्या है और साथ ही क्या वहा समुचित दवाइयो की व्यवस्था है। महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि दिल्ली मे निरन्तर बढ़ती हुए आबादी को मद्देनजर रखते हुए मरीजो की संख्या काफी बढ़ रही है। इसमें जो अभी अस्पताल है आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईमेज के अतिरिक्त जो डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, सफ़दरजंग अस्पताल है, एस के हास्पीटल है, एल-एल जे पी हास्पीटल है, सेंट स्टीफन हास्पीटल है, बाडा हिन्दुराव हास्पीटल है, ये अस्पताल पर्याप्त नहीं हैं। इन पर इतना प्रैशर पड़ रहा है, इतना दबाव पड रहा है कि यहा पर जो मरीज जाते हैं उनकी पर्याप्त देखभाल करना बड़ा असभव हो गया है। यह एक खुशी की बात है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने 11 और पेरिफरल हास्पीटल खोले जाने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कुल अस्पताल अभी कमीशंड हैं और कुछ आपरेशनल, लेकिन मुझे यह कहते हुए काफी अफसोस हो रहा है कि इनमें से कुछ अस्पताल हैं जहां कि अभी तक जमीन का पजेशन नहीं मिल पाया है और वहा यह बात कही गई थी ओ०पी०डी० सर्विसेज मार्च में प्रारंभ हो जाएगी। यह अस्पताल हैं — फुदखुर्द, मैदानगढ़ी, रघुबीर नगर, रोहिणी कापलेक्स, सिरसपुर। जहा तक रोहिणी कापलेक्स में 500 बिस्तर वाले अस्पताल को छोडकर अन्य अस्पतालों में 100-100 बिस्तरो का उल्लेख स्वास्थ्य मत्रालय द्वारा किया गया था। मुझे मालूम है कि जो हमारी वर्तमान स्वास्थ्य मत्री हैं, काफी दक्ष हैं, निपुण हैं, सक्षम हैं और काफी चुस्त हैं और चूंकि बहुत चुस्त हैं, इसलिए अस्पतालों की अवस्था को भी दुरूस्त करेंगी, ऐसी मेरी मान्यता है। इन्हीं आशाओ और अपेक्षाओं के अनुरूप मैं इस चर्चा के माध्यम से कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ।

महोदया, कुछ ऐसी मेडीसिन हैं, जो बहुत आवश्यक हैं और इनका अस्पतालो में उपलब्ध कराया जाना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं रहती हैं। यह तो और भी गभीर बात हो जाती है, जबकि सुपर बाजार, जहा कि हर किस्म की वाइटल और सेंक्शन मेडीसिन होनी चाहिए, वह भी कई बार देखा जाता है कि वहा उपलब्ध नहीं होती हैं।